# न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर

**राजस्व प्रकरण संख्या 27/2018**

श्री सीमेन्ट लिमिटेड बांगड नगर ब्यावर जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री गणपत सिंह राठौड उपप्रबन्धक श्री सीमेन्ट लिमिटेड।

.......प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबू
2. श्री बोदू
3. श्री मंगला

   पुत्रगण श्री सुबान

4. श्री शौकीन
5. श्री सुखदेव
6. श्री हाकम

   पुत्रगण श्री बाबू

7. बाया (गीता) पुत्री बाबू
8. श्री पेमा पुत्र श्री उरजा
9. श्री अलफू
10. श्री सायर

    पुत्रगण श्री अणदा

11. मु0 गेंदी बेवा श्री अणदा
12. श्री रोशन
13. श्री सलीम
14. श्री रमेश

    पुत्रगण श्री घीसा

15. शान्ति पत्नी श्री घीसा
16. रसीदा
17. शहीदा
18. शेना

    पुत्रियां श्री घीसा

19. श्री हेमा पुत्र श्री सुबान
20. भवरू पुत्र पूरा
21. मु0 नैनी पत्नी पूरा

    समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम नीमगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मसूदा, जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4)**
**राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :— 1. श्री शान्तिप्रकाश ओझा वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़ सरकारी वकील।

**—: आदेश :—**

दिनांक—14.02.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एक सीमेन्ट उत्पाद कम्पनी है जिसे राज्य सरकार खान विभाग ग्रुप (2) जयपुर के आदेश कमांक पं. 2 (47) खान /ग्रुप—2/ दिनांक 15.12.2014 के द्वारा खनन पटटा वास्ते खनिज लाइम स्टोन ग्राम श्यामगढ, तहसील मसूदा हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत हुआ है जो उप पंजीयक मसूदा तहसील मसुदा के यहा दिनांक 06.04.2015 को पंजीकृत किया गया है। इस लीज क्षेत्र के ग्राम नीमगढ़ में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 276 खसरा नं0 1581 रकबा 11 बिस्वा, 1582 रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 1583 रकबा 3 बिस्वा, 1584 रकबा 14 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि मे सरफेस राइट अप्रार्थीगण का है। प्रार्थी उक्त भूमि में खनन कार्य करना चाहता है, अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कर मुआवजा अप्रार्थीगण को अदा अथवा टेण्डर किये जाने के पश्चात कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलवाया जाने एवं उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में तदानुसार करने के आदेश प्रदान किये जावे।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु बावजूद सूचना के अप्रार्थी संख्या 1 से 21 अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 22 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि काबिलकाश्त है एवं किस्म बारानी है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति की जानकारी हेतु तहसीलदार मसूदा को पत्र लिखा जाकर मौका रिपोर्ट एवं भूमि पर स्थित वृक्ष अथवा निर्माण कार्य उनका प्रकार एवं निर्धारित कीमत तथा प्रत्येक खातेदार की उसके हिस्सेनुसार भूमि एंव उसका बाजार मूल्य (डी.एल.सी.) से मूल्याकंन कर रिपोर्ट पेश करने हेतु तलब किया गया। जिसके अनुसरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अधिवक्ता सरकार की ओर से यह भी बहस की गयी की भूमि का मुआवजा निर्धारण नये भूमि अवाप्ति पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार किया जावे तथा भूमि विस्थापितों के लिए नये एक्ट के अनुसार आर एण्ड आर के प्रावधानो को लागू किया जावे, जमीन की कीमत 4 गुना दी जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बहस का जोरदार विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस की गयी कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के खनन क्षेत्र में स्थित होने से एंव खनन कार्य हेतु आवश्यक होने से भूमि का सरफेस राईट प्राप्त करने के लिए मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। खनन पटटे की अवधि एम एम डी आर संशोधन आदेश 2015 के अनुसार बढकर 50 वर्ष हो गयी है जिसे रिकार्ड पर लिया जावे। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना कमांक प.1 (3) राज—6/2011/पार्ट/2014 दिनांक 16.10.14 के अनुसार, प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हेक्टर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नही होते है। वकील प्रार्थी द्वारा यह भी बहस की गयी कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की अनूसूची

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रथम के प्रावधानो के अनुसार ही भू स्वामियो को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है एवं उक्त अनुसूचि के कम सं 2 के अन्तर्गत जारी राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक पं. 4 (3) राज–6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को अलग अलग कारकों से गुणा कर बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नगरपालिका से दूरी 15 कि.मी होने से बाजार मूल्य (डी.एल.सी) रेट को 1.50 के कारक से गुणा कर उसके आधार पर प्रतिकर निर्धारण किया जाना है। अतः 4 गुणा के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण करने का प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नही होता है। वकील प्रार्थी द्वारा राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त आर.बी.जे. 2000, पेज 488 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया कि "Compensation of land acquired can be determined according to provisions of land acquisition Act." साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत कलेक्टर को सिर्फ मुआवजे का निर्धारण करने का अधिकार है। प्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिनियिम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारण को तैयार है वकील प्रार्थी की ओर से लिखित बहस के साथ कार्यालय ख़निज अभियंता खनन एवं भू–विज्ञान विभाग ब्यावर के आदेश दिनांक 06.11.2015 की प्रति जिसके द्वारा खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष तक की गयी है कि फोटो प्रति एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाएं प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 45 के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा उसकी माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित खातेदारी भूमि के सरफेस राईट प्राप्त करने के लिये मुआवजा निर्धारण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89(4) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा सरफेस राईट प्राप्त करने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के काश्तकारी अधिकार को न तो किसी प्रकार से चुनौती दी गई है और न ही उसके काश्तकारी अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित होते है। राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियमानुसार मुआवजा निर्धारित किया जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी/पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपन्त अवलोकन किया प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे तहसीलदार मसूदा से सर्वे करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 21 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि में काश्तकार है। भूमि की किस्म बारानी, आबी, चाही है डी.एल.सी. रेट 48,400 प्रति बीघा एवं नगरपालिका क्षेत्र से प्रस्तावित भूमि की दूरी 15 किलोमीटर है, प्रश्नगत आराजियात प्रार्थी के खनन क्षेत्र में स्थित है भूमि पर स्थित पेड पौधो की कीमत अंकित है तथा प्रत्येक काश्तकार का हिस्सा एवं हिस्सानुसार राशि अंकित है। खनन कार्य हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है एवं लीज की अवधि एम एम आर डी संशोधन आदेश दिनांक 06.11.2015 के अनुसरण में 20 वर्ष से बढकर 50 वर्ष हो गयी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को सुना जाकर उचित मुआवजा प्रदान किये जाने का प्रावधान है एवं मुआवजे का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा। भूमि अवाप्ति के सम्बध मे नया भूमि अवाप्ति पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिया जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाता है चूँकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध मे अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है अतः प्रकरण मे नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार संलग्न अनुसूची प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी का क्रमवार उल्लेख किया गया है एंव उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे क्रम संख्या 4 में भूमि से जुडी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एंव क्रम संख्या 5 में सोलेशियम का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधानो एंव मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाना है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमियो की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 15 कि.मी. है एंव उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना दिनांक 16.10.2014 कारक जिसके आधार पर भूमि का बाजार मूल्य का गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूची के प्रावधानो के अनुसार पेड पौधो की कीमत को जोडा जाना है एंव ऐसी राशि का दोगुना सोलेशियम राशि होगी जहां तक R & R के प्रावधानो के लागू होने का प्रश्न है राज्य सरकार की अधिसूचना 16.10.2014 के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान उक्त अधिसूचना में उल्लेखित अवाप्त भू क्षेत्र अर्थात 1000 हेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 200 हेक्टर शहरी क्षेत्र में होने पर ही लागू होते है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का भूमि अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा में नही आता है अतः आर एण्ड आर के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नही होते है। अधिवक्ता सरकार की ओर से इसके खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के लागू होने का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89(4) के अन्तर्गत खातेदार कृषक के प्रश्नगत भूमि पर सरफेस राईट को प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, जबकि सरकारी वकील द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रकरण में लागू नहीं होती। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है, जिसे किसी भी प्रकार से अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अप्रार्थीगण के काश्तकारी अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त विवरण के आधार पर प्रकरण में भूमि का मुआवजा निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

| भूमि की डी.एल.सी. दर 48,400/– प्रति बीघा। | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं. सं. | नाम खातेदार | हिस्सानुसार कुल रकबा | भूमि की कीमत | बाजार मूल्य का 1.5 | पेड़ो की कीमत | योग कीमत + पेड़ | सोलेशियम 100% | कुल देय राशि C*2 |
| 1 | बाबू पुत्र सुबान | 00–01–06 | 3146 | 4719 | 208 | 4927 | 4927 | 9854 |
| 2 | बोदू पुत्र सुबान | 00–01–06 | 3146 | 4719 | 208 | 4927 | 4927 | 9854 |

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मंगला पुत्र सुवान | 00–01–06 | 3146 | 4719 | 209 | 4928 | 4928 | 9856 |
| 4 | शौकीन पुत्र बाबू | 00–00–06 | 726 | 1089 | 52 | 1141 | 1141 | 2282 |
| 5 | सुखदेव पुत्र बाबू | 00–00–06 | 726 | 1089 | 52 | 1141 | 1141 | 2282 |
| 6 | हाकम पुत्र बाबू | 00–00–06 | 726 | 1089 | 52 | 1141 | 1141 | 2282 |
| 7 | बाया(गीता) पुत्री बाबू | 00–00–06 | 726 | 1089 | 52 | 1141 | 1141 | 2282 |
| 8 | पेमा पुत्र उरजा | 00–05–05 | 12705 | 19058 | 833 | 19891 | 19891 | 39782 |
| 9 | अलफू पुत्र अणदा | 00–03–10 | 8470 | 12705 | 555 | 13260 | 13260 | 26520 |
| 10 | शायर पुत्र अणदा | 00–03–10 | 8470 | 12705 | 555 | 13260 | 13260 | 26520 |
| 11 | मु0 गेंदी बेवा अणदा | 00–03–10 | 8470 | 12705 | 556 | 13261 | 13261 | 26522 |
| 12 | रोशन पुत्र घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 13 | सलीम पुत्र घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 14 | रमेश पुत्र घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 15 | शान्ति पत्नी घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 16 | रसीदा पुत्री घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 17 | शहीदा पुत्री घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 13 | 376 | 376 | 752 |
| 18 | शेना पुत्री घीसा | 00–00–02 | 242 | 363 | 14 | 377 | 377 | 754 |
| 19 | हेमा पुत्र सुवान | 00–00–11 | 1331 | 1996 | 93 | 2089 | 2089 | 4178 |
| 20 | भवरू पुत्र पूरा | 00–00–18 | 2178 | 3267 | 138 | 3405 | 3405 | 6810 |
| 21 | मु0 नैनी पत्नी पूरा | 00–00–18 | 2178 | 3267 | 139 | 3406 | 3406 | 6812 |
| कुल योग :– | | – | 57838 | 86757 | 3794 | 90551 | 90551 | 181102 |

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि रूपये 181102/– का अप्रार्थीगण के नाम उपरोक्त हिस्सेनुसार चैक बनाकर तहसीलदार मसूदा को एक माह की अवधि मे उपलब्ध करावे। तहसीलदार मसूदा उक्त आराजी के सम्बन्ध में स्वयं के समक्ष अप्रार्थीगण को उपरोक्त राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे तथा मुआवजा राशि भुगतान की समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी। प्रार्थी कम्पनी को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाकर अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में भूमि बिलानाम

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

(सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी ईकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 (2) में वर्णित माईनिंग से सम्बन्धित समनुषंगी कार्यों (Subsidiary Purposes) के लिये ही करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राशि भुगतान में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार की जावेगी।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मसूदा/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(एम.एल.नेहरा)
अपर कलक्टर, अजमेर

(एम. एल. नेहरा)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner